NAME OF NEWSPAPERS नवभारत टाइम्प । मई दिल्ली । सोमवार, 19 फरवरी 2024

कोचिंग सेंटर्स ने कहा, कमर्शल इलाके महंगे, फायर सेफ्टी NOC भी चैलेंज

सेंटर कमर्शल इलाकों में शिफ्ट हुए कोचिंग वसूलेंगी छात्रों से ज़्यादा फीस

20 से ज्यादा स्ट्रडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर्स को फायर एनओसी और इनके रिहायशी इलाकों में चलने के मामले में कई सवाल सामने हैं। कोचिंग सेंटर्स का कहना है कि छोटे सेंटर्स के लिए पायर एनओसी हासिल करना बड़ी चुनौती है क्योंकि कई सेंटर्स पुरानी इमारतों से चल रहे हैं। ज्यादातर इमारतों में एंटी और एन्जिट होर अलग नहीं हैं। सीढियों की चौडाई कम है और सड़कें भी कम चौड़ी हैं। दूसरी ओर, कमशंल इलाके में किराये की जगह दोगने से भी ज्यादा महंगी है।

'कैटेगरी के हिसाब से बनें सेफ्टी नॉर्म्स': डीडीए के मास्टर प्लान में 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए फायर सेफ्टी एनओसी लेना जरूरी है। इसे कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह कहते हुए चैलेंज किया है कि फायर सेफ्टी के नॉम्सं ऐसे छोटे सेंटर्स के लिए अलग होने चाहिए। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट मृत्युंजय आर. नारायण कहते हैं, 2020 में जब सूरत के कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, तब डीडीए ने कोचिंग सेंटर्स के लिए यह नया नियम तय किया। पहले बिल्डिंग बायलॉज में यह संख्या 100 स्टूडेंट्स की थी। हमने इसे चैलेंज किया क्योंकि इस पर स्टेकहोल्डर्स से बात की नहीं गई है कि दिक्कते कहा हैं। दिल्ली जिस हिसाब से बसी है, इमारते बनी हैं, उनमें ना हो चौड़ी सीढ़ियां हैं, ना अंदर-बाहर जाने के लिए दो-दो दरवाजे। हमने सुझाव दिया है कि ऐसे सेंटर्स में हर कमरे में फायर इक्सिटगिवशर, हर कमरे के बाहर सैंड बैग और रग्स अनिवाय करने चाहिए। 20 से कम स्टूडेंट्स होंगे, तो भगदड़ की भी दिक्कत नहीं होगी। हाई कोर्ट ने हमारे केस को मुखर्जी नगर आग वाले केस से टैग किया है क्योंकि मामला फायर एनओसी का ही है।

इस केस की सुनवाई में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर्स को कमशंल एरिया में होना चाहिए। नारायण कहते हैं, कोर्ट ने यह फैसला नहीं सुनाया बल्कि सवाल किया है कि ऐसे सेंटर्स कमर्शल एरिया



डीडीए के मास्टर प्लान में 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए फायर संपटी एनओसी लेना जरूरी है

'कमर्शल इलाका, यानी फीस महंगी'

स्टूडेंट्स का कहना है कि कोविंग अगर कमर्राल इलाकों में जाएंगे तो उनके लिए यह महंगा पढ़ेगा। विजय नगर में रेजिडेशल एरिया में कोधिंग लेने वाले

कमश्ल इलाके में कम से कम 25 हजार देनी होगी फीस

विक्रम रावत कहते हैं, मैं एसएससी सीजीएल की एक साल की कोचिंग ले रहा हूं, फीस 16 हजार रुपये हैं। हर बैच में 25-30 स्टूडेंट्स हैं। अब यही कोचिंग मुखर्जी नगर के कमर्राल इलाके में जाएगी, तो फीस 25 हजार कम से कम देनी होगी। स्टूडेंट्स भी ज्यादा होंगे। हर तरह के इलाके और बिल्डिंग के सेफ्टी नॉर्म्स तय हों या

किर कर्मशल एरिया में फीस बढ़े नहीं या दिल्ली के हर एरिया में एजुकेशनल इलाके/इमारतें बनाई जाएं।

कमशंल इलाकों में जाना मुश्किल है किए भी जाते हैं तो किराया स्टूडेंट्स की फीस से ही लिया जाएगा। यह दोनों के लिए मुश्किल होगा। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से सेक्टी के नियम तय होने चाहिए।

दिल्ली में 583 कोचिंग सेंटर्स हैं, जो रजिस्टर्ड हैं और कमशंल तौर पर चलते है। बाकी कम संख्या वाले द्यूगन/

से क्यों नहीं चल रहे। छोटे सेंटर्स का कोचिंग सेंटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। दिल्ली पालम कोचिंग असोसिएशन क्योंकि किराया महंगा है। अगर वे शिफ्ट के प्रेजिडेंट सतीश गुप्ता कहते हैं, छोटे कोचिंग सेंटर्स भी कमशंल इलाके में आएंगे तो महंगे किराए के अलावा पार्किंग, स्ट्रडेंट्स की फीस से लेकर दूरी भी मुश्किलें बनकर सामने आएंगे। सरकार को साफ करना चाहिए कि इनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, चलाने के नियम, एनओसी हासिल करने की प्रक्रिया क्या है?

यहां भी खतरे में कोचिंग में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की जान!

- लक्ष्मी नगर इलाके में ज्यादातर सेंटर्स के पास नहीं है फायर एनओसी
- 200 से ज्यदा सेंटर्स चल रहे हैं इस समय पुरे इलाके में
- बिना NOC सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर चल सकती है कोचिंग



Rajesh.Saroha@tmesgroup.com.

= नई दिल्ली : ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में लगभग 200 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है। इससे कोचिंग सेंटर में आकर पढ़ने वाले सैंकड़ों स्टूडेंट्स जान को खतरा बना रहता है।

मुखर्जी नगर इलाके में पिछले साल कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना हुई थी। स्टूडेंट्स के निकलने का सिर्फ एक हो रास्ता होने की वजह से कोचिंग सेंटर के अंदर फंसे स्टूडेंट्स की जान पर बन आई थी। शाहदरा साउच जोन के तहत आने वाले लक्ष्मी नगर और शकरपुर इलाके में

कराई जातो है। सीए को तैयारी के मामले मे इस इलाके को गिनतो नॉयं इंडिया के एक बड़े हब के रूप में होती है।

एमसीडी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि लक्ष्मी नगर इलाके में विकास मार्ग और मंगल बाजार रोड नोटिफाइ रोड है। इन दोनों मुख्य सड़कों पर कोचिंग सेटर चलाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फायर एनओसी लेनी होगी। अधिकारी का दावा है कि इस इलाके मे चल रहे कोचिंग सेंटर्स में से शायद ही किसी ने फायर एनओसी ले रखी हो। अगर एनओसी नहीं है तो वे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। उन्होंने मास्टर प्लॉन का जिक्र करते हुए कहा कि भी 200 से अधिक कोचिंग सेटर चल रहे प्रीपर्टी के दो तिहाई हिस्से में ही कोचिंग हैं। यहां ज्यादातर सेंटर्स में सीए को तैयारी सेंटर चलाया जा सकता है।

180 सेंटर्स को दे चुके हैं नोटिस : इस सबंध में जब शहदरा साजध जोन के डिप्टी कमिरनर अशुल सिरोही से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मी नगर और शकरपुर इलाके में अवैध रूप से चल रहें लगमग 180 कोविंग, सेंटर्स को नोटिस दिया जा चुका है। नोटिस मिलने के बाद बगैर फायर एनओसी के चल रहे कई कोधिंग सेंटर बंद से गए या बिल्डिंग मालिकू ने उनसे खाली करा लिया। कुछ कोशिंग सेंटर्स ने जवाब देने के साथ-साथ हल्फनामा भी दाखिल किया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स द्वारा जो भी जवाब दिया गया है उनकी जांच की जा रही है।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, FEBRUARY 19, 2024

WSPAPERS-----

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 19 फरवरी 2024

Bijwasan rail terminal not on 'protected' forest land: NGT

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi; The National Green Tribunal has observed that the land on which Rail Land Deyelopment Authority (RLDA) is constructing the Bijwasan rail terminal station in Dwarka is not a protected forest or deemed forest area.

The tribunal has disposed of the plea that said the terminal was being built on "protected" forest land. It gave permission for the project to proceed

However, NGT has asked the project proponent to ensure that any further felling of trees is done after seeking permission from the forest department, which had imposed a fine of Rs 5 93 crore on RLDA in 2022 for the illegal felling of 250 trees in the area.

For cutting trees in the city, permission from the forest department under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, is required. However, if an area is a protected forest, or a deemed forest, permissions are also required under the Forest Conservation Act, 2023.

A deemed forest is not a notified or a reserve forest and different states have different criteria. In Delhi, any area over 2.5 acres with over 100 trees per acre is a deemed forest. Similarly, 1-km stretches of roads and drains with the same tree density are also deemed forests.

The plea against the building of the terminal was filed by RM Asif, a local resident, in 2023. He claimed that a piece of project land in Dwarka's sector 21 was forest land and permission from the central govt under the Forest Conservation Act had not been taken. The plea claimed that over 1,00 trees stood on the land, which would be cut for the project.

However, in an affidavit last week, the department had told NGT that the area was not a protected forest, but it may be a deemed forest, based on the density of trees.

"Counsel for the respondent (RLDA) has pointed out that DDA had handed over the possession of about 110.07 hectares to the Railways, He has also pointed out the plea of the applicant that there are 1,100 trees at the subject land. Hence, he submits that on calculating



Forest department had imposed a fine of Rs 5.9cr on RLDA in 2022 for the illegal felling of 990 trees

the number of alleged trees standing on per acre of land... this land does not fall under the category of deemed forest," said the NGT in its February 13 order. The tribunal also observed that the Forest Conservation Act, 2023, which was recently amended, did not cover deemed forests anymore.

A bench headed by NGT chairperson Justice Prakash Shrivastava said the counsel for the RLDA had also made a categorical statement before the tribunal that all rules will be followed at the time of implementation of the project.

"Hence, we are of the view that adequate precautions have already been taken to prevent illegal felling of trees. Even otherwise, we make it clear that respondents during the implementation of the project, will not cut any tree unauthorisedly or illegally and will follow all environmental norms, including compensatory plantation. That they will carry out the activity on the subject land only with due approval and compliance of the conditions imposed by the environmental authorities," NGT said.

इमरजेंसी में नहीं पहुंच पाती फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस

30-40 साल पहले बनी DDA पॉकेट्स में दिक्कत

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

अलीपुर के दयाल मार्केट के पास एक पेट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 11 लोगों की जिदगों चली गई। इस तरह के हादसों के लिए डीडीए के 20 से 45 साल पुराने पॉकेट बिलकुल तैयार नहीं है। वजह यह है कि यह पॉकेट्स जब बने थे तो यहां पार्किंग का इंतजाम नहीं था। ऐसे में अब लोग अपनी गाड़ियां ओपन स्पेस में खड़ी करते हैं। इसके साथ ही अतिक्रमण की समस्या भी इन डीडीए पॉकेट्स में बढ़ती जा रही है। लोगों व एक्सपर्ट के अनुसार इस तरह के हादसे रोकने के लिए भी रीडिबेलपमेंट की जरूरत है।

इन दिनों एनवीयों डोडोए के कई
पुराने पिकट्स में जाकर वहां के लोगों
की रीडिवेलपमेंट की मांग उटा रहा है।
इसके तहत अभी तक एनवीयों की करीब
छह डीडीए पिकट्स में जा चुका है। हर
जगह वहां की आरडब्ल्यूए ने इस समस्या
को उठाया। आरडब्ल्यूए के अनुसार न
तो यहां फायर विग्रेड आ सकती है और
न ही एंबुलेंस।

रोख सराय फेज-2 के ब्लॉक के आरडब्लयूए सदस्य प्रकारा कोहली ने बताया कि करीब 45 साल पुराने इस ब्लॉक में लिफ्ट नहीं है। न ही यहां कारों की पार्विग है। उपर को मंजिलों में रहने वाले को अलॉटमेंट के समय स्कूटर पार्विग दी गई थी। अब सबके पास कारे हैं। कारों से सोसायटी का ओपन स्पेस इस तरह भरा रहता है। कुछ महीने पहले एक इमरजेंसी स्थिति में एंबुलेंस को बुलाने की



एजेंसियां भी आगे नहीं बढ़ा रहीं अपने कदम:

9 जून 2023 की शाम द्वारका संक्टर-10 के अपार्टमेंट के सातवे और आठवें फ्लोर पर आग लगी थी। इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के समय फायर विग्रेड कॉल मिलने के बाद कुछ ही मिनट में यहां पहुंच गई लेकिन उसे अदर जाने की जगह नहीं मिल सकी। ऑल द्वारका रेजिडेट फेडरेशन (एडीआएएफ) के पेजिडेट अजीत स्वामी ने बताया कि आग बुझाने वाली गाड़ी को सोसायटी के अंदर आने का रास्ता नहीं मिलता।

जरूरत पड़ी तो करीब एक घंटा गाड़ियों को हटाने में लग गया। ग्रोहणी सेक्टर-8 के विवेकानंद अपार्टमेंट पॉकेट बी-5 के विकास कुमार जिंदल ने भी बताया कि सोसायटी की इंटरनल रोड पर कुछ जगह इस कदर अतिक्रमण हो गया है कि वहां फायर बिग्नेड या एंबुलेस का पहुंचना मुमकिन हो नहीं है।

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, सोमवार, १९ फरवरी २०२४

धे प्रकृति से जुड़ने का आसान जरिया'

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज में गार्डन दूरिज्य फेस्टिवल का 36वां संस्करण आयोजित किया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रविवार को कहा कि फूल और पौधे प्रकृति के साथ जुड़ने का सबसे आसान जरिया हैं। यह देश का सबसे बड़ा दुरिज्म फेस्टिवल है, जिसमें प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं ने हिस्सा लिया।

भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यक्रम में डीडीए, एनडीएमसी, पीडब्ल्युडी, एमसीडी, रेलवे जैसे विभागों ने अपने यहां के फुल-पौघों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में देखा जा सकता है कि सामान्य परिवार के लोग और समृद्ध परिवार के लोग भारी तादाद में देखने आए हुए हैं।



नई दिल्ली में रविवार को गार्डन टूरिउम फेस्टिवल के आखिरी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती कलाकार। • हिन्दुस्तन

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2024 दैनिक जागरण

आज से दीवाली विशेष आवासीय योजना के लिए पंजीकरण शुरू

अपनी प्राधिकरण (डीडीए) दीवाली विशेष आवासीय योजना के तीसरे चरण के लिए सोमवार से पंजीकरण शुरू करेगा। इसके दो में 132 एमआइजो फ्लैट हैं। तहत पंजीकरण और बयाना राशि अधिकारियों ने बताया कि पेंट (ईएमडी) जमा करने की अंतिम हाउस के लिए ईएमडी 25 लाख तारीख 28 फरवरी है। डीडीए के रुपये हैं। एचआइजी के लिए 15 अधिकारियों ने बताया कि दीवाली लाख रुपये व एमआइजी के लिए विशेष आवासीय योजना के तीसरे 10 लाख रुपये हैं। इस योजना चरण के तहत विभिन्न श्रेणियों के के तहत पांच मार्च को फ्लैटों का 257 फ्लैट ई नीलामी के माध्यम ई नीलामी होगी। जिनकी संख्या से ब्रिकी के लिए उपलब्ध होंगे। घट-बढ़ सकती है।

राष्यु, नई दिल्तीः दिल्ली विकास द्वारका सेक्टर-19वी फेज दो में दो पेंट हाउस, द्वारका सेक्टर 19बी फेज दो में ही 123 एचआइजी फ्लैट व द्वारका सेक्टर 14 फेज

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 19 फरवरी 2024

गार्डन ट्रिज़म फेस्टिवल के आखिरी दिन उमडे लोग

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्लीवाले वसंत उत्सव का आनंद लेने रविवार को बड़ी तादाद में गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज पहुंचे। 36वें गार्डन टूरिजम फेस्टिवल का रविवार को समापन हुआ। दिल्ली ट्ररिजम विभाग के तीन दिन के इस उत्सव की धीम थी 'धरती फूलों में हंसती है'। कई लोगों ने परिवार, दीस्तों के साथ यादगार आउटिंग का आनंद लिया।

इस फेस्टिवल में रविवार को पहुंचे दिल्ली के पर्यटन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस'(सैदुलाजाब) में दूरिवाम फेस्टिवल में हजारों तरह के फूल-पीधे हैं, जो फेस्ट की खूबसूरती को खुशनुमा बनाते हैं। अगर कोई एक बार यहां आ गया, तो बार-बार आता रहेगा। उत्सव में सामग्री की भी खरीदारी की।



पौधों की 32 श्रेणियों के बीच प्रतियोगिता भी रखी गई। इनमें कैक्टस से लेकर डहलिया, लिली, गुलाब, गुलदाउदी, गमले वाले पीधे, लटकने वाले पीधे, गमलों में सब्जियां और दिल्ली टूरिजम और दिल्ली सरकार के 'द औषधीय पौधे शामिल रहे। उत्सव में उद्यान विभाग, डीडीए, एमसीडी, नॉर्थ रेलवे. दिल्ली जल बोर्ड जैसे कई विभागों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा लोगों ने पौधों, बगीचे में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और उर्वरक

NAME OF NEWSPAPER: Hindustan Times MONDAY FEBRUARY 19, 2024

NEW DELHI

Delhi's 1st bird census to start from Feb-end; to be held every 3 months

Jasjeev Gandhiok

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi's forest and wildlife department is planning to create a "bird atlas" for the Capital, which will have details of the city's bird diversity in terms of species and their distribution across the city. The department is planning to create the atlas by the end of the year by conducting a series of bird census, beginning this month-end. officials aware of the matter said on Sunday

A bird atlas helps the states to look at the change in bird diversity and density over the years. It also uses maps to help identify important bird habitats.

A census is planned to be carried out once every three months, which will provide the government adequate data on both resident and migratory birds across different seasons, they added. Forest officials said this will be for the first time that the department will carry out a bird census in the city, which will eventually provide the data to create Delhi's first bird atlas.

Suneesh Buxy, Delhi's chief wildlife warden, said to gather data and conduct census across

What is bird atlas?

A bird atlas helps the states to look at the change in bird diversity and density over the years. It also uses maps to help identify important bird habitats.

Locations selected for February census

Asola Bhattl Wildlife Sanctuary, Najafgarh Jheel, entire stretch of the Yamuna floodplains from Palla till Okhla, Delhi Zoo, Bhalswa Lake and Sanjay Lake

Focus on both resident and migratory birds Forest dept to be assisted by

Delhi Development Authority's Biodiversity Parks Programme and Delhi University students

Other states that have such record

Kerala was India's first state to get a bird atlas in 2020, making use of over 25,000 checklists to map out the state's birds. Goa has recently come up with a one-year bird atlas programme, based on the Kerala model.

the city, the department will seek assistance from Delhi Development Authority's (DDA's) Biodiversity Parks Programme and Delhi University students. A date to start the first such census is still being finalised. Birders have also been approached by the department to cover different wetlands and bird-rich areas of the Capital, he added.

"The plan is to carry out a bird census every three months, which will be able to look at the changes in bird density over different seasons. We will start the first census of this year in February-end, which will represent the winter season. The goal is to track migratory birds too and the different species that are reaching the Capital each year, which will help create a detailed bird atlas," Buxy told HT, stating this will be an annual publication released by the department.

"We looked at states like Kerala and Goa, which have their own bird atlas," he said.

So far, the department has shortlisted over 10 locations at the moment for the February census, with more to be added. depending on the number of volunteers, it said. These include Asola Bhatti Wildlife Sanctuary. Najafgarh Jheel, entire stretch of the Yamuna floodplains from Palla till Okhla, Delhi Zoo, Bhalswa Lake and Sanjay Lake.

"By covering the floodplains. we will also be able to cover locations such as Baansera, Asita, Kalindi Aviral, Garhi Mandu and Yamuna Biodiversity Park, which are all on the floodplains, Buxy added.

Though bird counts are held in Delhi-NCR annually, these are normally held by birders at an informal level, with its data uploaded on the website, eBird.

On February 4, birders had taken part in the Big Bird Count 2024, held over 30 different locations spread out across Delhi and National Capital Region (NCR), finding 237 species.

Faiyaz Khudsar, scientist-incharge of DDA's biodiversity parks programme, who will be assisting the department with the first census this month, said this was a welcome move and will provide Delhi with its own data of Delhi's rich bird diversity.

"A bird atlas will require longterm planning. First, the number of locations being covered will have to be fixed. Then, we will have to fix permanent points at each spot, which will have to be covered every time a census is conducted," said Khudsar.

Nikhil Devasar, a birder and one of the organisers of the Big Bird Count in NCR, said a bird atlas would be extremely helpful for Delhi. However, it will require extensive data collection. beyond the census planned every three months. "We have told the forest department ideally, we will need to collect data every other week and bird data needs to be collated for at least 1.5 years, before the first bird atlas can come out. We have also suggested them to make the eBird portal as the baseline," he said.

Delhi is supposed to have a rich bird biodiversity, a comprehensive assessment of which has been presented in the book, "Birds of Delhi area", by birder Sudhir Vyas. He has listed 470 different species that have been sighted in the Capital in the past.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY S CLIPPING SERVICE

NEW DELHI MONDAY FEBRUARY 19, 2024

Flyover project on busy W Delhi stretch delayed

Paras Singh

paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: Commuters using the west Delhi section of the Ring Road between Punjaib Bagh and Moti Nagar are likely to continue to face heavy congestion and delays for at least another three months as the Public Works Department has pushed the deadline for the construction of an elevated corridor between Raja Garden flyover and Punjabi Bagh flyover May 31 this year.

Hindustan Times

Earlier, the project was to be finished by January 31, 2024.

According to a progress report of the project prepared by the department, 85% of the civil work has been completed but there will be delays on account of shifting utilities -- overhead high-tension power lines and Delhi Jal Board water lines. However, the department plans to open the Moti Nagar section of the corridor by early March, senior officers involved in the project said.

A senior PWD official said that the power discom is likely to complete work on shifting the overhead power lines by March. "We will also need forest department's permission for tree felling and a DJB water pipeline passing through the right of way in Club Road flyover also needs to be relocated. Due to these hurdles, the completion deadline has been shifted to May 31, 2024," the official who asked not to be named said.

But the official said the Moti Nagar flyover's basic structure is ready and it can be opened for the traffic once the black-topping of carriageway is done. "It needs 10 days of work to open the road for traffic. We were hoping to bring construction material from Faridabad but this has been temporarily delayed due to restrictions in the wake of farmers' protest. We hope to open the Moti Nagar section be early March," the official added. The west Delhi corridor devel-

The west Delhi corridor deveropment and connectivity plan for the influence zone of the Ring Road stretch between Punjabi Bagh Flyover and Raja Garden was launched in September 2022, and the first deadline was set for December 8, 2023, Delhi Key road link misses deadline The Punjabi Bagh flyover project was Delhi supposed to be done by January 31 PROJECT STARTED IN: ₹352 crores Indira September 2022 ESTIMATED COST Colony Manatra Gandinad Rohtak Rd What is the project? Punjabi Elevated corridor between Raja Bagh Garden flyover and Punjabi Bagh flyover, it involves development of a six-lane elevated corridor from Moti the ESI Hospital to the existing Nagar Raja Garden Club Road half flyover, one of the busiest road stretches in Delhi What PWD officials say? Hurdle and The corridor will be completed cause of delay? in two phases: Moti Nagar Shifting of power lines, heavy traffic, Grap six-lane flyover will be opened by early March construction curbs The Punjabi Bagh flyover will be completed by May 2024

1.8 mn litres

Amount of fuel

savings annually

the site in October, highlighting the delay in the construction work of Moti Nagar and Punjabi Bagh flyovers. She directed the officials to complete the construction work by January 2024, pointing out that both flyovers were crucial for making the Ring Road jam-free.

How it will help

Will reduce the carbon emission by 160,000

tonnes annually

A government spokesperson said: "Moti Nagar flyover will be inaugurated by first week of March, as work is nearing completion. Punjabi Bagh flyover will be completed by end of March."

The project involves doubling of three-lane flyovers at Moti Nagar and Punjabi Bagh and connecting them to develop a six-lane corridor from the ESI Hospital to the Club Road flyover. The ₹352.3-crore-project is being carried out under corridor development and flyover construction scheme of PWD. Then PWD minister Manish Sisodia laid the foundation stone of the project in September 2022

₹200 crores

Money to be saved on fuel costs

PWD had earlier said that the project lost momentum when construction was banned under the Graded Response Action Plan (Grap). The construction work on flyovers bridges and other such linear projects was suspended in Delhi in November due to high pollution levels by the Commission on Air Quality Management in Delhi NCR.

A second PWD official said that besides utility relocation, another primary reason for the delay in Punjabi Bagh flyover was installation of girders in the presence of heavy traffic near the Bharat Darshan section.

Karan Harjani, who regularly takes the stretch from Pitampura to Punjabi Bagh, said that the residents of Punjabi Bagh have to endure traffic snarls every day due to delayed flyover construction, and potholes. "The plight of entire west Delhi is the same." he said.

Nidhi Chaudhary, another commuter wrote on X, "It's been so long Punjabi Bagh flyovers are under construction... and the traffic on the Ring Road which is the life line of the Delhi is observing traffic jams... people are suffering and there isn't any police personnel to manage the traffic."

The corridor between the Punjabi Bagh Flyover and Raja Garden Flyover is a part of busiest sections of Ring Road, and it experiences a heavy traffic load because apart from the regular city traffic, it also takes traffic from Haryana using the Rohtak Road (NH-10). The key route also connects north Delhi to south Delhi, Gurugram, and other parts of the NCR.

"An estimated 125,000 vehicles pass through the two flyovers every day and once the project is complete it is estimated to lead to annual saving of 1.8 million litres of fuel annually and 27,000 man-hours due to reduction in congestion. The fuel saving will lead to reduction of 160,000 tonnes of carbon emissions annually," the second PWD official added.

The infrastructure planning arm of DDA – the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (planning and engineering) Centre or UTTIPEC had cleared the project in December 2020. The expenditure finance committee of the Delhi government provided the financial approval for the project on May 10, 2022.

NAME OF NEWSPAPERS

Nestled in Sanjay Van, tale of 2 'centuries-old' shrines

UPASIKA SINGHAL

NEW DELHI, FEBRUARY 18

AS ONE walks down deep into the rocky, undulating terrain of Sanjay Van in Mehrauli, a burst of colour catches the eye. Silver streamers flutter overhead while the walls painted in bright green and yellow stand out, amid the stark surroundings. This is the Aashiq Allah dargah.

According to Zafar Hasan's List of Muhammadan and Hindu Monuments, the dargah (shrine) was built in 1317 for Shaikh Shihabuddin Ashiq Allah by Sultan Qutubuddin Mubarak Shah Khilji. According to Sadia Dehlvi's The Sufi Courtyard, the saint was a disciple of Shaikh Badruddin Ghaznavi, who, in turn, was one of the leading disciples of Qutubuddin Bakhtiar Kaki, whose shrine situated nearby is referred to as the Mehrauli dargah.

Narrating the legend of the Sufi saint in her book, Dehlvi states that once, during Urs festivities of his father, Shaikh Shihabuddin was informed that the langar (community feast) would not suffice for the large



Ashiq Allah dargah was built in 1317. Rameen Khan/City Tales

number of devotees that had gathered. "Shaykh Shihabuddin ordered that the lid of the food cauldron be covered, and to begin feeding people in the name of Allah. The attendant did as he was told and the food sufficed for everyone," Dehlviwrites. This legend earned the Sufi saint the moniker of "Ashiq Allah", or one who loves Allah deeply.

According to the National Mission on Monuments and Antiquities database, the dargah is famous for organising langars for pilgrims even today.

"Locally, the dargah is also called 'nazariya peer', believed to have the power to remove the 'evil eye', and is quite popular with both locals and pilgrims coming from afar," says Rameen Khan, who organises heritage walks around Delhi.

The dargah also houses a famous Sufi landmark where Baba Farid Ganj-Shakkar, one of the founders of the Chisti Sufi order, performed his Chillah-e-Makoos — a challenging



spiritual practice in which a person hangs upside down using a rope, often in a well, as per historian Rana Safvi, While the Ashiq Allah dargah shill survives, despite demolition fears in light of the razing of Akhoondji Masjid in the neighbourhood, another dargah a few metres away was not as fortunate. This was the Haji Rozbih dargah — a bare structure with just a rough perimeter of stones around two graves. In January, it was demolished by the Delhi Development Authority (DDA) for allegedly encroaching on the Southern Ridge area.

In his book, Hasan mentions that Baba Haji Rozbih was revered as one of the oldest saints to have visited Delhi. It is said the Sufi saint took abode in a cave just below the walls of Qila Rai Pithora in the 12th Century. "Many embraced Islam by his advice, and astrologers," told the Raja that the coming of Baba Haji forboded the ad-

vent of the Muhammadan rule into Delhi," Hasan writes.

The second grave on the premises was believed to have been of a woman; both Hasan's book and Safvi's Where Stones Speak — Historical Trails in Mehrauli, The First City of Delhi, state the grave belonged to Prithviraj Chauhan's daughter Bela Sidhi, According to both historians, local legend states that the princess had converted to Islam under the tutelage of Haji Rozbih. However, im another part of the city, locals claim the princess died by Sati after her husband was killed in battle.

With the twin-grave structure now reduced to rubble, all eyes are now on the Aashiq Allah dargah. In February, a PIL was filed in the Delhi High Court seeking orders to the DDA to desist demolishing the Ashiq Allah dargah and the Baba Farid chillagah, and other monuments in Mehrauli and Sanjay Van. The HC pointed out that the forest was considered the "lungs of the city" and all statutory authorities have to put in efforts to ensure "no illegal or unauthorised construction is carried out on this public land".

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times

NEW DELHI MONDAY FEBRUARY 19, 2024 ---

Bijwasan rail terminal site is not a forest, rules NGT

HT Correspondent

htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The National Green Tribunal (NGT), has observed that the land on which the Rail Land Development Authority (RLDA) is building the Bijwasan Rail Terminal station in Dwarka's sector 21, is neither a protected forest nor a deemed forest, dismissing a plea alleging trees had been felled on a 'protected forest' by the body.

Allowing the project to proceed, the tribunal in an order on February 13, however, asked the project proponent to ensure any further felling of trees is done only after seeking permission from Delhi's forest and wildlife

department.

RLDA was fined ₹5.93 crores by Delhi's state forest department in 2022, after it had found around 990 trees to be felled at the site of the station, without any prior permission. A series of inspections were conducted on the site by the forest department, following allegations from local residents that RLDA was carrying out large scale felling of trees for the project.

According to officials aware of the matter, the project will see an airport-style makeover of Bijwasan station by 2024. It includes a new terminal building spread over an area of 30,400 square metres (sqm), an air concourse across 12,500sqm and a circulating road network of 123,500sqm. The new Bijwasan railway station will have eight platforms. Currently, it has just two platforms.

Permissions have to be

sought under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for any construction work in Delhi. If the area is found to be a protected forest, or a deemed forest, then further permissions are required under the Forest Conservation Act, 2023, too.

Station on track

THE PROJECT RLDA is giving an airport-style makeover to Bijwasan Rail Terminal station in Dwarka's Sector 21

- in 2022, RLDA was fined 15.93 crore for felling 990 trees at the site without permission.
- RLDA said it did not seek permission as the land was barren when it began the project.
- A plea asked NGT to halt the project because trees were felled on forest land.
- But NGT ruled that the land is neither a deemed forest nor a protected forest, and the project can proceed. However, RLDA must seek permission before felling any more trees.

DEEMED FOREST

A deemed forest is not a notified or a reserve forest. In Delhi, any area over 2.5 acres with over 100 trees per acre, or 1km stretches with same density is a deemed forest

NGT was hearing a plea filed by a Delhi resident RM Asif, who called for the tribunal to halt the project and said over 1,000 trees had been felled in the forest land, which was a violation of the Forest Conservation Act. In a submission made last week, the forest department had told NGT the area was not a protected forest, but it may be a deemed forest, based on the density of trees.

A deemed forest is not a notified or a reserve forest and different states have different definitions. In Delhi, any area over 2.5 acres with over 100 trees per acre is called a deemed forest. Similarly. Ikm stretches of roads and drains with the same density are also deemed forests. The concept came into existence following a Supreme Court order in the TN Godavarman case in 1996.

Counsel for the respondent (RLDA) has pointed out that DDA had handed over the possession of about 110.07 hectares of land to the Railways. He has also pointed out the plea of the applicant...that there are 1,100 trees at the subject land. Hence, he submits that on calculating the number of alleged trees standing on per acre of land...this land does not fall under the category of deemed forest," said NGT in its order, dated February 13, stating the recently amended Forest Conservation Act 2023 also did not cover deemed forests anymore.

A bench headed by NGT chairperson Justice Prakash Shrivastava said the counsel for RLDA had also made a categorical statement before the tribunal that all rules will be followed at the time of implementation of the project.

Hence, we are of the view that adequate precautions have already been taken to prevent Wlegal felling of trees. Even otherwise, we make it clear that respondents during the implementation of the project, will not cut any tree unauthorizedly or illegally and will follow all the environmental norms including compensatory plantation. That they will carry out the activity on the subject land only with due approval and compliance of the conditions imposed by the environmental authorities," said the NGT.

Last year, RLDA had said that it did not seek any permission as the land was barren when the project was awarded nine years ago. RLDA did not respond to requests for comment on Sun-

संदे नवभारत टाइम्स । मा विक्ली । 18 फायमे 2024 ERS

फुलों में हंस रही धरती



फूलों से महकते बगीचे की फोटो AI ने बना

 विस, नई दिल्ली: उद्यान पर्यटन उत्सव में पौधों की 32 श्रीणयों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कैक्टस से लेकर डहेलिया, लिली, गुलाब, गमले चाले पीधे, गमलो से अलग किए गए पीधे,

उत्सव में देखें फुल और पीधे

उद्यान पर्यटन ट्रोकरियों में लटकने वाले पीधे, बोनसाई, गमली में सब्जियां व औषधीय पीचे प्रदर्शित किए जा रहे है। इस साल उद्यान पर्यटन उत्सव की थीम 'धरती फूलों में

हंसती है' रखी है। उद्यान पर्यटन उत्सव में भाग लेने वस्ता व रखा है। उद्यान बन्दन उसले में भागे सन् याले मुख्य प्रतियोगी उद्यान विभाग, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, नीर्थ रेलवे, दिल्ली जल बोर्ड आदि है। इसके अलाया ताजे पौथों की बिक्री, उद्यान में इस्तेमाल होने याले उपकरण और उर्वरक आदि भी बिक्री के लिए उपलब्ध है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

RPESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्लो । अनिवार, 17 फरवरी 2024

HC की टिप्पणी के बाद रेजिडेशल एरिया में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर लटकी तलवार

हाई कोर्ट ने 20 से ज्य़ादा स्टूडेंट्स वाले सेंटरों को रेजिडेंशल एरिया से बाहर भेजने की टिप्पणी की थी

 नई दिल्ली : कोचिंग सेंटरों को तमाम कानूनी दाव-पेच के बावज़द कोई राहत नहीं मिल रही है। फायर एनओसी के बिना चलने वाले कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही दे चुका है। अब कोर्ट की 15 फरवरी को टिप्पणी के बाद ऐसे सेटरो पर भी बंद होने का खतरा मंडराने लगा है, जो 20 से ज्यादा स्टूडेंट के साथ आवासीय इलाके में चल रहे है।


हाई कोर्ट ने कहा कि जिन कोचिंग सेटरों में 20 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, उन्हें रंजिडेशल इलाकों से बाहर किया जाना चाहिए और कमर्शल इलाकों में संचालित होना चाहिए। एक्टिंग चॉफ

ऐसे सेंटरों में स्टूडेंट अपनी जॉन जोखिम में डाल रहे:

जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेच ने बीते गुरुवार को कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कीर्ट ने कहा कि स्टूडेंट आवासीय इलाकों में चलने वाले कोचिंग सेटरों में जान जीखिम में

डालते हैं, जिनमें न तो जरू में सुरक्षा उपाय किए गए हैं और न दो सीढियों जैसी ढांचगत अनिवार्यता का पालन हो रहा है।

याचिकाकर्ता यह तर्क देते हुए कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए हुए है कि फरवरी 2020 में डोडोए ने अपने यूनिफाइड बिल्डिंग वायलीज-2016 (यूबीबीएल-2016) में संशोधन करते हुए एजुकेशनल बिल्डिंग की परिभाषा में कोचिंग मेंटरों को शामिल कर गलत किया। इससे कॉचिंग सेटरों पर फायर सेक्टी आदि के लिए कुछ खास उपायों को अपनाने की बाध्यता बन रही है। यूबीबीएल के तहत, शैक्षणिक संस्थानी को दो सीढ़ियां और एक खेल का मैदान जैसी कई सुविधाओं को जरूरत होती है, जो पहले से बनी हुई आवासीय इमारतों



कोचिंग सेंटर चलाने वालों का तर्क, कमर्शल इलाके में तो कई दिक्कतें

20 से ज्यादा स्टूडेंट्स वाले दिल्लों के कोचिंग सेंटर्स को रिहायशी इलाकों से हटाने से ना सिर्फ कोचिंग सेंटर्स बल्कि स्टूडेट्स को भी दिक्कत होगी। यह कहना है तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर्स का, जो रिहायशी इलाको या मिक्स्ड लैंड यूज इलाकों में चल रहे हैं। कोचिंग असीसिएशंस का कहना है कि अगर वो रिहायशी इलाकों से शिफ्ट होते हैं. तो कई सेटर्स बंद हो जाएंगे क्योंकि कमर्राल इलाके में कोचिंग सेटर चलाने का किराया वो नहीं दे सकते।

कमर्राल हो या रेजिडेशल सेफ्टी देखने

राजेंद्र नगर में एक कॉलोनों में कोचिंग सेंटर चला रहे शख्स कहते हैं. मेरे कोचिंग सेंटर में करीब 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और आसप्रस के ही स्टूडेंट्स है। मेरा किराया 25 हजार रुपये हैं। यहां सेफ्टो का इंतजाम किया है। अगर इसे

मैं किसी कमरांल स्पेस में शिफ्ट करता हूं तो मुझे मोटा पैसे खर्च करना होगा, ऐसा करने से कई स्टूडेंट्स तो कतई नहीं आएंगे। होना यह चाहिए कि चाहे कमर्शन हो या रेजिडेशल, दोनों को सेफ्टो देखी जाए।

दिल्लो कोचिंग एसोसिएशन के प्रेजिडेट सतीश गुमा कहते है, पहले केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स पर सख्ती को और अब हाई कोर्ट कोचिंग सेंटर्स को रिहायशी इलाकों से बाहर चहती है जबकि कई सेंटर्स ने फायर सेफ्टो के इंतजाम इमारतों में दो-दो एंटी-एरिजट दरवाजे नहीं हैं. सडकें 9 मीटर की नहीं है। दूसरी ओर, छोटे कोचिंग सेटर्स अगर एनओसी में गए तो फीस तो दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में हम कैसे फीस लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि आप इस कैटिगरी में आते दे पाएंगे?



स्टूडेंट्स का कहना है कि घरों से दूरी बढ़ने से उनक वक्त तो बर्बाद होगा ही, साथ ही फीस भी बढ़ जाएगी। ही नहीं। तो पहले इसका हल निकालना जरूरी है। फिर कमशंल एरिया में सस्ते आंपान कहां है ? किराया कम नहीं होगा तो फीस बढ़ानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स और कोचिंग वाली दोनों का नकमान है।

दिल्ली के मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, राजेंद्र नगर, नेब सराय जैसे कई इलाको में कोचिंग सेटर्स चलते हैं। मखर्जी नगर में रहकर यूर्वाएससी को तैयारी करने वाले स्टुडेंट सौरभ दक्षित कहते हैं, बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर्स कमर्शल इलाके का किराया दे सकते हैं मगर छोटे नहीं। इसी वजह किए हैं। अब दिल्ली की कॉलोनियों बसी ही ऐसी है कि कड़ं से ये रिहायशी इलाको में कम किराए पर चल रहे हैं। ऐसे में उनकी फोस भी कम है। अब अगर ये भी रिहायशी इलाकों

मुखर्जी नगरः 25 सेंटरों को सीलिंग का नोटिस

 विस. नई दिल्ली: एमसोडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली फायर विभाग के साथ मिलकर मुखर्जी नगर का जॉइंट सर्वे किया। इस दौराम एमसीडी ने 25 कोचिंग सेंटरों को सीलिंग का नेटिस दे दिया। एमसीडों के सीनियर अधिकारी ने बताया कि

अगले सप्ताह इन सभी कोचिंग सेंटरों में सीलिंग शुरू होगी

अगले सप्ताह इन सभी क्येंचिय सेंटरों में सीलिंग की कार्यवाही शुरू कर दो जाएगी। एमसीडी पहले चरण में 70 कोचिंग सेटरों को मौल कर चुकी है। एमसीडी से मिली जानकारी

के अनुसार, एमसोडी ने पहले चरण में अलग-अलग समय पर मुखर्जी नगर इलाके मे अवैष रूप से चल रही 70 कोचिंग सेटरों को सील किया था। एमखेडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की तो कोर्ट ने दोवरा सबे का आदेश दिया। कोरं के आदेश पर

एमसीडी ने दिल्ली फायर विभाग के साथ मिलकर पूरे इलाके का सर्वे किया।

दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक यह सर्वे पुरा हुआ। सर्वे से पता चला कि 21 कोचिंग सेंटर वंद हो चर्क है। वहीं 25 कोचिंग सेंटर ऐसे मिले, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए एमसीडी ने उन सभी को सील करने का नोटिस जारी कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस समय मुखर्जी नगर इलाके में 57 कोचिंग सेंटर ऐसे हैं, जो पूरी तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं।

16 जून, 2023 दिल्ली हाई

मुखर्जी नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में जून में लगी आग की घटना का खुद से सङ्घान लिया। फायर सर्विस डिपार्टमेंट को निर्देश मिला कि वो ऐसे सभी संस्थानों में आग से बचाव के इतजामों (फायर संफ्टी ऑडिट) और उनके फायर सेक्टी सर्टिफिकेट की जाच करे।

25 जुलाई, 2023 हाई कोर्ट ने दिल्ली

के मास्टर प्लान 2021 के विरुद्ध चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया। साफ किया कि मिक्सड यूज के तहत चल रही अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ पर भी यह नियम लागू होगा। ऐसे संस्थानों के रजिस्ट्रेशन रह करने की छूट भी अथॉरिटीज को दी गई।

एमसीडी का तर्क ने कोर्ट

को बताया कि दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 के तहत क्लॉज नंबर 15.7 है, जो आवासीय इलाकों में अन्य गतिविधियों की इजाजत देता है। स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन देने वाले सस्थानों के अलाव कोचिंग सेंटर/ द्यूशन सेटर्स को भी आवासीय इलाकों में सचालन की इजाजत है। पर एमपीडी, 2021 के क्लॉज 15.7.2 के अंतर्गत कुछ खास सड़कों पर ही।

दिल्ली पुलिस का दावा पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के वकीलों ने कहा कि उन्हें कोयिंग सेंटरों को बंद करने का अधिकार नहीं है। यह काम

एमरवेडी का है।

एमपीडी, 2021 में परिसर के मिक्सड यूज के लिए रजिस्ट्रेशन की छूट है। कोर्ट ने कहा कि बेशक एमसीडी के पास मिक्सड यूज के लिए पॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का अधिकार है, पर तय शर्तों को पूरा करने पर। इसके विरुद्ध संचालन की इजाजव किसी कोचिंग सेटर को नहीं।

नवंबर, 2023 विल्ली हाई कोर्ट ने सेटरो से पूछा कि उन्होंने अपने परिसरों में स्टूडेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठार है।

दिसंदर, 2023 काट ग फायर सर्विस और एमसीडी को सेटरों का इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे फायर संकरी नियमों का पालन कर रहे है या नहीं।

16 फरवरी, 2024

डिविजन बेंच पूरी न हो पाने की वजह से सनवाई टल गई

millenniumpost

NEW DELHI | MONDAY, 19 FEBRUARY, 2024

TUILE DELHI ATED

Saurabh Bharadwaj inaugurates 36th Garden Tourism Festival in Delhi


OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Tourism Minister Saurabh Bharadwaj on Sunday inaugurated the 36th edition of the Garden Tourism Festival at the Garden of Five Senses.

"The festival has attracted a diverse crowd, including people from ordinary and affluent families, housewives, and individuals from all walks of life, who are inspired by the exquisite gardening on display to replicate it at their own homes," Bharadwaj said.

The festival offers attendees a tranquil escape into nature's embrace.

The theme of this year's festival, "The Earth Laughs in Flowers," encapsulated the essence of spring's arrival, showcasing the captivating transformation of the earth



Saurabh Bharadwaj

into a floral wonderland.

The event displayed a dazzling array of plants, including cacti, dahlias, lilies, roses, chrysanthemums, and an assortment of potted plants.

Key participants in the festival included the Horticulture Department, Delhi Development Authority (DDA), Municipal Corporation of Delhi (MCD), Northern Railway, and Delhi Jal Board, among others.

हाउसिंग स्कीम के तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू



नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम के तीसरे चरण के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। इसके तहत रजिस्ट्रेशन व वयाना राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम के तीसरे चरण के तहत विभिन्न श्रेणियों के 257 फ्लैट ई ऑक्शन के माध्यम से बिकी के लिए उपलब्ध होंगे। द्वारका सेक्टर 19बी फेज दो में दो पेंट हाउस, द्वारका सेक्टर 19बी फेज दो में ही 123 एचआईजी फ्लैट व द्वारका सेक्टर 14 फेज दो में 132 फ्लैट हैं। अधिकारियों ने बताया कि पेंट हाउस के लिए ईएमडी 25 लाख रुपए है। एचआईजी के लिए 15 लाख रुपए व एमआईजी के लिए 10 लाख रुपए हैं। इस योजना के तहत 5 मार्च को फ्लैटों का ई ऑक्शन किया जाएगा। फ्लैटस की वास्तविक संख्या घटाई व बढाई जा सकती है। किसी भी प्रकार को अन्य जानकारी के लिए डीडीए की बेवसाइट परउ संपर्क किया जा सकता है।

दैनिक भास्कर

डीडीए ने दिया यमुना से सटे इलाकों में अवैध निर्माण गिराने का नोटिस

नई दिल्ली | सराय काले खां में यमुना से सटे इलाकों हें में अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा नोटिस चस्मा किया गया है। इस नोटिस में उन्हें अतिक्रमण की गई जगह को खाली करने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि 8 मार्च को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया जाएगा। ये कार्रवाई डीडीए द्वारा अदालत के आदेश पर करने की बात कही जा रही है। बता दें कि यहां कई लोग 20 से 25 सालों से रह रहे हैं और वे खेती-बाड़ी के अलावा मजदूरी और पशुपालन भी करते हैं।

NAME OF NEWSPAPER नई दिल्ली। शनिवार • 17 फरवरी • 2024



20 से ज्यादा छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को व्यावसायिक परिसर में स्थानांतरित करें

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने 20 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को आवासीय क्षेत्रों से व्यावसायिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कोचिंग फेडरेशन आफ इंडिया की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि दो सीढ़ियों जैसी आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं की कमी वाले आवासीय भवनों में चल रहे कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्र अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं।

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि कक्षाओं में सैकडों छात्र होते हैं। वैसे कोचिंग सेंटरों को आवासीय भवन में नहीं होना चाहिए। वे किसी व्यावसायिक भवन में चले जाएं। पीठ ने कहा कि आप रिहायशी इलाके से काम नहीं कर सकते. जहां छात्र 20 से अधिक हों, आपको बाहर

- कोविंग सेंटरों को आवासीय भवन में नहीं होना चाहिए : हाईकोर्ट
- याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक भवनों की परिभाषा में कोचिंग सेंटरों को शामिल करने का विरोध किया

चले जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक भवनों की परिभाषा में कोचिंग सेंटरों को शामिल करने का विरोध किया, क्योंकि उन भवनों को अग्नि सुरक्षा आदि के लिए कुछ विशिष्ट उपायों को अपनाने की जरूरत होती है। फरवरी 2020 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपने एकीकृत भवन उपनियम-2016 (युबीवीएल-2016) को संशोधित किया था, जिसमें शैक्षिक भवनों की

परिभाषा में कोचिंग सेंटरों को भी शामिल किया था। याधिकाकर्ता के वकील राजेश्वरी हरिहरण ने कहा कि अधिसचना वर्ष 2020 में आई है। डोडोए ने उन्हें एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में वर्गीकृत करते हुए एक अधिमूचना जारी किया है। हम चाहते हैं कि अधिसूचना का स्पष्टीकरण होना चाहिए।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिका को कोचिंग सेंटरों में अग्नि स्रक्षा के मुँदे से निपटने वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए स्वीवद्ध किया जाए। हम वर्ष 2020 की अधिसूचना पर रोक नहीं लगा सकते। इसमें मानव जीवन शामिल है।

याधिकाकर्ता के वकील ने कहा कि युवीबीएल के तहत शैक्षणिक संस्थानों को दो सीढ़ियां और एक खेल का मैदान जैसी कई स्विधाओं की आवश्यकता होती है, जो पहले से मौजूद आवासीय भवन में संभव नहीं हो सकता है।